कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 212 / 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 21/07/2023

G2G

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चेलछीना बाजार से प्राथमिक पाठशाला चुपडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.365 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रिरानगर फॉरिस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 2546/1जी0 5057 (वा0सं0स्वी0अनु0) देहरादून दिनांक 09.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की दरों को पुनरिक्षित किया गया है। एन0पी0वी0 की पुनरिक्षित नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा की जानी है।

अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है–

1.	ईको क्लास श्रेणी	vth
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	0.4 (40 प्रतिशत)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	1292850.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	2.365
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रूपये)	3057590.00
6.	पूर्व में जमा की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि (रूपये)	1998425.00
7.	वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रूपये)	1059165.00

(दस लाख उनसठ हजार एक सौ पैसंठ मात्र)

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आपके द्वारा डिमांड नोट के साथ पूर्व में जमा की गयी धनराशि की रसीद ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की जानी है, डिमांड नोट सत्यापित किये जाने के उपरान्त अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है। तत्पश्चात् आपके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण अनुपालन आख्या, इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी है, जिससे प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

पत्रांक 212 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रिरानगर फॉरिस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)